भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 376
उत्तर देने की तारीख 27 मार्च, 2023
सोमवार, 6 चैत्र, 1945 (शक)

जनजातीय-बहुल क्षेत्र के लिए पीएमकेवीवाई

***376. श्री कनकमल कटारा:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर सहित जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कितने जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) जनजातीय समुदायों के लिए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर सहित राजस्थान में जनजातीय समुदायों के कौशल विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की गई और उसमें से कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>'जनजातीय-बहुल क्षेत्र के लिए पीएमकेवीवाई' के संबंध में श्री कनकमल कटारा द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 376 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में जनजातीय उम्मीदवारों सहित युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। एसटीटी के अंतर्गत प्रमाणित सभी उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए, जबकि आरपीएल को नियोजन से संबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता देता था। पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के तहत, पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22) के दौरान 44,142 एसटी उम्मीदवारों को जनजातीय-बहुल क्षेत्रों (जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित) में नियोजित किए जाने की सूचना-प्राप्त हुई है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में क्रमशः 490 और 463 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को नियोजित किए जाने की सूचना-प्राप्त हुई है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। आवेदन प्राप्त होने पर अर्हता के आधार पर चयन किया जाता है और टीसी संबद्ध तथा प्रत्यायित होते हैं। जनजातीय-बहुल क्षेत्रों में पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत क्रमशः कुल 1,281, 1,751 और 825 टीसी स्थापित किए गए।

(ग) पीएमकेवीवाई जॉब रोलों की पहचान और मैपिंग के लिए बॉटम-अप एप्रोच वाली एक मांग आधारित स्कीम थी। क्षेत्र कौशल परिषदों और जिला कौशल समिति (डीएससी) में स्थानीय तथा उद्योग की आवश्यकता के आधार पर अभिज्ञात जॉब रोलों के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और समान मानदंडों के अनुसार अन्य प्रोत्साहन अर्थात एकमुश्त नियोजन यात्रा लागत और नियोजन उपरांत वृत्तिका भी जनजातीय समुदायों को दिए गए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान करने के लिए जिला और क्षेत्रीय स्तर पर रोज़गार मेला और शिक्षुता मेला भी आयोजित किए गए।

(घ) राजस्थान राज्य में जनजातीय समुदायों सहित युवाओं के कौशल विकास के लिए, पीएमकेवीवाई के केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक के अंतर्गत 210.20 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था और पिछले तीन वर्षों (2019-20 से 2020-21) के दौरान पीएमकेवीवाई के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के तहत क्रमशः 12 करोड़ और 18.76 करोड़ रुपए जारी और उपयोग किए गए हैं। पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के तहत वित्तीय-वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान राज्य को 14.19 करोड़ रुपए जारी किए गए।

****